न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 261/2018 जीसीएमएस संख्या 2018/00204

1. रामवतार यादव,
2. महावीर प्रसाद यादव, (मृतक) जरिये वारिसान
   2/1. सतीश यादव पुत्र महावीर प्रसाद यादव,
   2/2. हितेश यादव पुत्र महावीर प्रसाद यादव,
   2/3. मन्जू पुत्री महावीर प्रसाद यादव,
   2/4. पूनम पत्नि महावीर प्रसाद यादव,
   2/5 बीना धर्मपत्नि महावीर प्रसाद यादव, जाति यादव, निवासी ग्राम तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान ।
3. राजेन्द्र कुमार यादव, (मृतक) जरिये वारिसानः–
   3/1. कविता पत्नि राजेन्द्र कुमार,
   3/2. प्रियंका,
   3/3. मोनिका,
   3/4. सोनू,
   3/5. मनीषा,
   3/6. सीमा,
   3/7. टिन्नी
   3/8. पिंकी पुत्रीयान स्वर्गीय राजेन्द्र कुमार,
   3/9. पियूष पुत्र स्वर्गीय राजेन्द्र कुमार, जाति अहीर, निवासी ग्राम विरामपुर, तहसील तिजारा, हाल आबाद तिजारा।
4. अभय सिंह यादव,
5. शिशपाल यादव पुत्रान केशोराम, जाति यादव, निवासी तिजारा, तहसील तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान ।
6. महीपाल सिंह यादव,
7. ऋषीपाल यादव पुत्रान रामपत यादव, जाति यादव, निवासी तिजारा, तहसील तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान ।
8. रामकुमार यादव पुत्र हेमराज यादव, जाति यादव, निवासी तिजारा, तहसील तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान ।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. अजयपाल यादव पुत्र श्री मंगतुराम यादव, जाति अहीर, निवासी ग्राम विरामपुर, तहसील तिजारा, अलवर, राजस्थान ।
2. तहसीलदार, तिजारा, जिला अलवर ।

–रेस्पोडेन्ट्स

3. प्रहलाददत्त,
4. नन्दराम,
5. यशवन्त पुत्रान भीखा, कौम अहीर, निवासी विरामपुर, तहसील तिजारा, जिला अलवर ।

–तरतीबी रेस्पोंडेन्ट्स

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील अन्तर्गत धारा अधिनियम, 1956 75 राजस्थान भू–राजस्व विरुद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा, जिला अलवर दिनांक 25.05.2017 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के प्रार्थना पत्र पर आराजी खसरा नं0 598, 607, 605 के बजाय खसरा नं0 594, 596 व 597 में से रास्ता दिये जाने का आदेश दिये गये जो आदेश गलत खिलाफ मनशाये कानून निरस्त किये जाने योग्य है व अपील अपीलान्ट काबिले स्वीकार है ।

उपस्थित–

1. श्री विजय सिंह राठौड वकील अपीलान्ट।
2. श्री पंकज शर्मा वकील रेस्पो0 1 की ओर से।
3. श्री चन्दशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक –13.05.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर हाल जिला खैरथल–तिजारा के निर्णय दिनांक 25.05.2017 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि वाके ग्राम तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर हाल जिला खैरथल–तिजारा में स्थित खसरा नं. 594, 596, 597 के खातेदार व काश्तकार की भूमि में से तहसीलदार तिजारा ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा को रास्ता प्रस्ताव भेजा जिस बाबत् उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 25.05.2017 को उक्त खसरा नम्बर में कदीमी आम रास्ता को राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर हाल जिला खैरथल–तिजारा के उक्त निर्णय दिनांक 25.05.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट रामवतार यादव वगै0 द्वारा यह अपील धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी तिजारा 25.05.2017 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर तहत् न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि खसरा नं0 594, 596, 597 के काश्तकार रास्ते के लिए सहमत है। जबकि उक्त खसरा नम्बरान के खातेदार काश्तकार अपीलान्टान ने कभी किसी प्रकार की कोई सहमति नही की। उक्त प्रार्थना पत्र में सहमति बाबत् कोई सहमति पत्र हम खातेदार काश्तकारो को रिपोर्ट के साथ पटवारी हल्का द्वारा या रेस्पोडेन्ट द्वारा संलग्न नही किया गया है। इससे स्पष्ट है कि हम अपीलान्टस को ऐसी कथित कार्यवाही की कोई जानकारी नही है। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर एक ही दिन में समस्त कार्यवाही कानूनगो व पटवारी हल्का द्वारा की गई है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में यह कथन किया है कि " वाके ग्राम तिजारा के आराजी खसरा नं0 588, 607, 605 का पूर्व में रास्ते का प्रस्ताव दिया गया था। जिसमें

राजस्व अपील प्राधिकारी/संभागीय आयुक्त
जयपुर

पूर्व में इन्ही खसरा नम्बरान में से रास्ता जा रहा था । हाल में आपसी सहमति से 598, 607, 605 के बजाय खसरा नं0 594, 596 और 597 में से रास्ता दिया जाना उचित है।"तिजारा ग्राम न होकर नगरपालिका है और नगरपालिका द्वारा कोई ऐसा प्रस्ताव नही लिया गया है एवं कोई सहमति किसी खातेदार द्वारा नही दी गई है और ना ही किसी खातेदार के हस्ताक्षर है और नाही सहमति पत्र रिपोर्ट के साथ संलग्न है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि रिपोर्ट में पांच गांवो की मिटिंग होकर रास्ते की सहमति बतायी गई है जबकि तिजारा स्वयं नगरपालिका क्षेत्र हैऐसी स्थिति में पांच गांवो की मिटिंग होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। पांच गांव कौन–कौन से मिटिंग में शामिल थे और उसमें कौन–कौन उपस्थित थें और क्या प्रस्ताव लिये गये। रिपोर्ट पटवारी से स्पष्ट नही है और नाही ऐसी कोई प्रस्ताव, सहमति व मिटिंग में उपस्थित व्यक्तियो का कोई विवरण या दस्तावेज नही है। ऐसी स्थिति में पटवारी हल्का मनमाने तरीके पर हम अपीलान्टान को नुकसान पहुंचाने की नियत व गर्ज से फर्जी तरीके से रिपोर्ट तैयार की गई है।जब पूर्व में खसरा नं0 598, 607, 605 में से रास्ता जा रहा था तो अब खसरा नं0 594, 596 और 597 में से रास्ते की क्या आवश्यकता पड गई। क्या किसी खातेदार की आराजी में से इस प्रकार पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर पूर्व रास्ते की बजाय नया रास्ता दिया जा सकता है। यह एक अहम् कानूनी बिन्दू है । लेकिन तहत् न्यायालय द्वारा इस अहम् बिन्दू पर गौर नही किया गया।तहसीलदार तिजारा व पटवारी द्वारा बिना मौके की जॉच किये उक्त विवादित भूमि में रास्ता प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा को भेजा जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने भी बिना मौके की जॉच, खातेदारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये हैं जबकि उक्त भूमि में पूर्व में ना तो कोई आम व सार्वजनिक रास्ता था ना ही वर्तमान में है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.2017 पारित करने में कानूनी गलती की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी तिजारा दिनांक 25.05. 2017 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोडेण्ट के योग्य अधिवक्ता नेबहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया किपटवारी हल्का एवं तहसीलदार तिजारा ने जो रास्ता प्रस्ताव भेजा है उसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रस्तावित रास्ता मौके पर प्रचलित है एवं से आवागमन हेतु उपयोग में आ रहा है। अपीलांट्स को समुचित रूप से सुनवाई का अवसर देकर व मौके की जॉच पश्चात् एवं पटवारी हल्का व तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है एवं हितबद्ध कृषकों को नोटिस प्रसारित कर उज्रदारी/आपत्ति तलब की गई है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर हाल जिला खैरथल–तिजारा उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट को जारी नकल दिनांक 02.07.2018 को प्राप्त होना बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। तहसीलदार तिजारा द्वारा अपने पत्रांक 1715 दिनांक 11.05.2017 के द्वारा पूर्व में जारी प्रस्ताव में आंशिक संशोधन कर खसरा नं. 598, 607, 605 के बजाय खसरा नं0 594, 596 और 597 में से रास्ता अंकन किये जाने का प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर हाल जिला खैरथल–तिजारा के समक्ष पेश किया। जिसमें पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में अंकन किया है कि पांच गांव की मिटिंग की आपसी सहमति से 598, 607, 605 के बजाय खसरा नं0 594, 596 और 597 में से रास्ता दिया जाना उचित है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार तिजारा के प्रस्ताव अनुसार खसरा नं. 594, 596, 597 के खातेदार व काश्तकार की भूमि में से रास्ता को राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये गये। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार ग्रामवासियों की आपसी सहमति का कथन किया गया है जिस बाबत् पत्रावली में रिपोर्ट के साथ सहमति पत्र एवं मिंटिग में उपस्थित व्यक्तियों को कोई विवरण या दस्तावेजात उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना दस्तावेजात का अवलोकन किये तहसीलदार के संशोधित प्रस्ताव के आधार पर ही रास्ते का निर्णय पारित किया गया है जो कि उचित एवं विधिसम्यक नहीं है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला अलवर हाल जिला खैरथल–तिजारा हाल का निर्णय दिनांक 25.05.2017 निरस्त किया जाता है।

(डॉ. आरुषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 13.05.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।